भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5331

उत्तर देने की तारीख : 03.04.2025

एमएसएमई क्षेत्र के लिए योजनाएं

5331. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा आवंटित और उपयोग की गई राशि का तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कोई देरी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : केन्द्र सरकार तमिलनाडु राज्य सहित देश में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करती है। ये योजनाएं देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई कार्यनिष्पादन में संवृद्धि एवं गतिवर्धन (रैम्प) स्कीम, एमएसएमई चैंपियंस योजना आदि शामिल हैं। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं है और ये योजनाएं मांग आधारित होती हैं तथा निधियों का आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है।

दिनांक 15.03.2025 तक 26,09,22,301 व्यक्तियों के रोजगार के साथ उद्यम पोर्टल पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित 6,13,37,576 एमएसएमई पंजीकृत हैं। इनमें से 49,64,549 एमएसएमई तमिलनाडु में पंजीकृत हैं, जिनमें 2,59,22,629 व्यक्ति कार्यरत हैं।

कुछ प्रमुख स्कीमों का कार्य निष्पादन/उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

(i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) : एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 15% से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% है। महिलाओं सहित, विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक पीएमईजीपी के तहत तमिलनाडु राज्य सहित राज्य-वार सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और उपयोग में लाई गई धनराशि (संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी) का विवरण निम्नानुसार है:

मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी करोड़ रुपए में							
क्र.सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
		सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	संवितरित एमएम सब्सिडी	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	संवितरित एमएम सब्सिडी	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	संवितरित एमएम सब्सिडी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	162	2.39	121	2.03	135	1.34
2	आंध्र प्रदेश	2,477	100.89	3,073	129.30	5,577	172.00
3	अरुणाचल प्रदेश	196	7.89	158	7.01	169	17.65
4	असम	3,855	66.60	2,596	59.54	2,417	64.06
5	बिहार	2,477	81.70	4,459	121.23	6,837	191.76
6	चंडीगढ़	21	0.62	15	0.45	10	0.22
7	छत्तीसगढ़	3,020	69.41	2,543	74.93	2,379	76.25
8	दिल्ली	100	3.15	72	4.71	50	3.34
9	गोवा	87	2.98	66	2.91	68	3.23
10	गुजरात*	4,143	287.05	3,071	241.83	3,000	321.25
11	हरियाणा	1,726	60.93	1,559	63.20	1,398	73.25
12	हिमाचल प्रदेश	1,274	35.51	930	31.50	974	36.48
13	जम्मू और कश्मीर	21,648	467.14	12,023	239.94	15,065	282.50
14	झारखंड	1,714	41.88	1,851	48.38	2,101	51.23
15	कर्नाटक	5,877	158.43	5,618	161.54	4,672	158.62
16	केरल	2,789	68.59	3,129	73.29	3,389	78.82
17	लद्दाख	295	11.82	91	3.76	122	5.85
18	लक्षद्वीप	7	0.18	2	0.02	-	
19	मध्य प्रदेश	8,082	209.61	5,957	181.30	5,292	185.21
20	महाराष्ट्र**	4,128	130.19	3,625	132.03	2,766	122.05
21	मणिपुर	1,139	33.37	545	14.63	348	8.11
22	मेघालय	699	9.74	306	6.66	280	7.25
23	मिजोरम	650	14.62	412	13.54	401	17.55
24	नागालैंड	1,241	24.95	469	15.35	517	29.18
25	ओडिशा	4,301	113.36	3,880	107.32	2,975	93.55
26	पुडुचेरी	66	1.44	25	0.66	30	0.97
27	पंजाब	1,790	60.18	1,564	72.51	1,469	90.88
28	राजस्थान	2,599	90.26	2,037	114.19	1,678	124.06
29	सिक्किम	85	2.14	57	1.31	132	4.49
30	**तमिलनाडु**	**5,972**	**164.46**	**6,140**	**178.92**	**6,814**	**198.72**
31	तेलंगाना	2,906	98.46	2,540	102.25	2,503	108.12
32	त्रिपुरा	958	20.84	703	16.89	588	14.44
33	उत्तर प्रदेश	12,594	411.65	11,601	378.66	11,689	435.29
34	उत्तराखंड	1,836	39.83	1,803	46.32	1,354	41.92
35	पश्चिम बंगाल	2,305	85.40	2,126	74.09	1,919	74.23
	कुल	**103,219**	**2,977.66**	**85,167**	**2,722.17**	**89,118**	**3,093.88**

** दमन और दीव सहित ** दादरा नगर और हवेली सहित*

(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने वर्ष 2000 में संयुक्त रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की, ताकि सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को किसी संपार्श्विक सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना दिए गए ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान की जा सके। सीजीटीएमएसई, एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) को लागू करता है।

सीजीएस के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में दी गई ऋण गारंटियों का तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है-

		वित्त वर्ष 2021-22		**वित्त वर्ष 2022-23**		**वित्त वर्ष 2023-24**	
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**गारंटी की संख्या**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)**	**गारंटी की संख्या**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)**	**गारंटी की संख्या**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)**
1	अंडमान और निकोबार	374	35	495	50	600	128
2	आंध्र प्रदेश	49,848	1,456	2,37,520	3,545	79,938	5,395
3	अरुणाचल प्रदेश	628	82	935	147	981	198
4	असम	14,918	1,262	21,195	2,156	34,556	3,750
5	बिहार	24,217	1,661	42,360	3,468	1,13,262	8,582
6	चंडीगढ़	1,382	159	1,706	303	2,459	604
7	छत्तीसगढ़	9,670	776	17,733	1,569	25,845	2,968
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	447	101	505	111	1039	277
9	दिल्ली	15,810	2,769	21,458	4,897	35,127	8,527
10	गोवा	2,218	174	2,826	325	4,947	611
11	गुजरात	34,929	4,836	43,336	8,209	1,06,073	19,668
12	हरियाणा	22,285	2,707	30,343	5,025	48,455	8,553
13	हिमाचल प्रदेश	10,075	792	14,898	1,275	20,600	2,080
14	जम्मू और कश्मीर	38,352	1,295	51,431	1,808	53,295	2,415
15	झारखंड	12,953	1,247	21,090	2,488	34,800	4,432
16	कर्नाटक	41,028	4,308	53,766	7,712	1,35,959	14,016
17	केरल	18,937	1,104	25,761	2,121	45,515	4,590
18	लद्दाख	205	23	467	44	637	84
19	लक्षद्वीप	11	1	25	3	7	1
20	मध्य प्रदेश	64,108	2,651	50,289	5,290	75,023	9,569
21	महाराष्ट्र	56,027	6,840	66,055	11,926	1,29,892	23,359
22	मणिपुर	1,294	101	2,268	171	1,580	111
23	मेघालय	886	93	1,410	160	1,693	252
24	मिजोरम	1,029	86	1,032	74	1,232	73
25	नागालैंड	1,692	139	1,813	162	1,563	160
26	ओडिशा	25,788	1,801	34,081	3,045	56,392	6,109
27	पुडुचेरी	1,013	74	1,087	107	2,418	233
28	पंजाब	23,172	1,661	49,720	4,385	81,259	9,632
29	राजस्थान	38,622	2,553	72,391	5,366	85,848	9,180
30	सिक्किम	479	34	765	61	1,108	102
31	**तमिलनाडु**	**44,897**	**4,134**	**61,883**	**7,114**	**1,13,815**	**15,061**
32	तेलंगाना	24,009	1,959	29,792	3,503	41,940	6,368
33	त्रिपुरा	2,020	115	3,845	207	6,523	381
34	उत्तर प्रदेश	86,616	5,628	1,30,769	10,742	2,47,258	21,200
35	उत्तराखंड	10,048	629	16,296	1,177	26,361	2,253
36	पश्चिम बंगाल	37,033	2,887	54,440	6,036	1,06,073	11,887
	कुल	**7,17,020**	**56,172**	**11,65,786**	**1,04,781**	**17,24,073**	**2,02,807**

(iii) उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) देश में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देता है। देश और तमिलनाडु में कार्यक्रमों और लाभार्थियों का क्रमश: ब्यौरा दिया गया है:

उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना की अब तक की प्रगति:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	2021-22	715	59,702
2.	2022-23	4,732	2,18,692
3.	2023-24	7,497	3,47,042
4.	2024-25 (दिनांक 30.03.2025 तक)	11,914	5,44,248
कुल		**23,246**	**10,69,602**

तमिलनाडु में ईएसडीपी योजना की अब तक की प्रगति:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	2021-22	31	3,002
2.	2022-23	245	9,433
3.	2023-24	319	16,445
4.	2024-25 (दिनांक 30.03.2025 तक)	362	17,902
कुल		**957**	**46,782**

(ग) : जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में कहा गया है, ये योजनाएं मांग आधारित हैं

(घ) : योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

****